courtkutchehry.com

Company : CourtKutchehry
Website : www.courtkutchehry.com
Printed For :
Date : 23/08/2026

(2019) 03 MP CK 0006

In the Madhya Pradesh High Court

Case No : Writ Appeal No. 1248 Of 18

Mukesh Singh Tomar — APPELLANT

Vs

State Of Madhya Pradesh & Others — RESPONDENT

Date of Decision : 05-03-2019

Acts Referred:
Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khandpeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 — Section 2(1)
Indian Penal Code, 1860 — Section 452

Citation : (2019) 03 MP CK 0006

Hon'ble Judges : Sheel Nagu, J;S.A .Dharmadhikari, J

Bench : Division Bench

Advocate : Prashant Sharma, Ravi Shankar Gupta

Final Decision : Allowed

Judgement

1. The instant Intra Court Appeal filed u/S. 2 (1) of Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khandpeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 questions the legality and validity of the final order dated 24/8/2018 passed by the learned single judge in W.P.No. 4499/17 dismissing the petition by which a challenge was laid to the order dated 13/6/2017, Annexure-P/1 by which candidature of petitioner for the post of Constable (Driver) in police establishment was cancelled on the ground that though petitioner has been acquitted of the offence punishable u/S. 452 by judgment dated 28/7/15 passed in Criminal Case No. 56/14 by the Judicial Magistrate First Class, Gwalior (M.P.), but the said offence involves moral turpitude and the acquittal is not clean and honourable.

2. Learned counsel for the rival parties are heard on the question of admission and final disposal.

3. Pleadings are perused.

4. Learned single judge while passing the impugned order has placed reliance on the decisions of the Apex Court in Commissioner of Police, New Delhi & another

Downloaded from CourtKutchehry — https://dev.courtkutchehry.com/judgments/mukesh-singh-tomar-appellant-hash…

Vs. Mehar Singh (2013) 7 SCC 685, Avtar Singh Vs. Union of India & others (2016) 8 SCC 471 and the Full Bench decision of this court in Ashutosh Pawar Vs. High Court of Madhya Pradesh & another in W.P.No.5865/16, decided on 12/1/2018 to come to a conclusion that on the anvil of the law laid down by these authoritative pronouncements, the discretion exercised by the competent authority declaring the petitioner to be ineligible for appointment in the police as constable, cannot be found fault with.

5. After having heard learned counsel for the rival parties, the only question which falls for consideration is as to whether the finding rendered by the competent authority that acquittal by the competent court of criminal jurisdiction in respect of offence punishable u/S. 452 IPC was a technical acquittal or clean/ honourable. To answer this question, this court has to undertake scrutiny of the judgment of the acquittal and as well as testimony of the eye-witnesses.

5. 1 Indisputably, the concluding lines of para 15 of the judgment of acquittal categorizes the acquittal to be one based on benefit of doubt.

5. 2 However, this categorization of acquittal being based on benefit of doubt is a misnomer, which is evident from conjunctive reading of para 11 of the judgment of acquittal and the te stimony of eye-witnesses PWs 1 to 9, namely, Rajveer Singh, Sachin, Sanjeev, Maharaj Singh, Parul, Vimal, Arif, Himanshu and Manvedra, respectively. Extracts of para 11 of the judgment of acquittal are reproduced below:-

11- अभियोजन कथानक अनुसार घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के द्वारा घटना दिनांक को हिमांशु व मानवेंद्र के पीछे-पीछे फरियादी संजीव के घर में डंडों व सरिये सहित प्रवेश करना बताया है, परंतु उक्त बिंदु पर साक्षीगण हिमांशु व मानवेंद्र ने अपने कथनों में कोई तथ्य नहीं बताया है और ना ही फरियादी संजीव ने उक्त बिंदु पर कोई कथन किये हैं। धारा-452 भा0द0वि0 के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी के द्व ारा फरियादी के घर में उपहति की तैयारी के पश्चात् प्रवेश किया जावे परंतु उक्त बिंदु पर अभियोजन की ओर से परिक्षित कराये गये किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण के द्वारा उपहति की तैयारी के पश्चात् फरियादी के घर में प्रवेश करने का उल्लेख है, परंतु मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उक्त तथ्य को प्रमाणित माना जाना विधि संगत नहीं होगा क्योंकि उक्त बिंदु पर स्वयं फरियादी संजीव ने न्यायालय में कोई कथन नहीं दिये हैं जिससे अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के घर में उपहति की तैयारी के साथ प्रवेश करने के तथ्य पर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है।

5.3 The aforesaid finding is based on testimony of eye-witnesses PW-8 Hinmanshu and PW-9 Manvedra, whose testimony are reproduced in extenso as under:-

PW-8 हिमांशु राजपूत (dt.24-3-15)

प्रकरण क्रमांकः-56/14

मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओ श्री गोयल वास्ते अभियोजनः-

1- मै आरोपीगण संतोष सिंह, पवन सिंह, विवेक उर्फ बिक्की व कपिल को नहीं जानता हूॅ। मैं फरियादी संजीव सिंह को जानता हूॅ वह मेरे चाचा हैं। आज से लगभग एक-सवा साल पहले की बात है। घटना के समय मैं अपने भाई मानवेंद्र के साथ किरार कॉलोनी स्थित घर के बाहर खड़ा हुआ था तभी एक इंडिका गाडी़ के ड्रायवर ने हमारी घर के बाहर खड़ी

Downloaded from CourtKutchehry — https://dev.courtkutchehry.com/judgments/mukesh-singh-tomar-appellant-hash…

स्कार्पिओ गाड़ी में स्क्रेच करते हुए टक्कर मार दी थी । इंडिका गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए थे। मैंने व मेरे भाई मानवेंद्र ने उन लोगों से कहा कि गाड़ी देखकर चलाओ तो उन लोगों ने गाड़ी से उतरकर हम लोगों के साथ झगड़ा किया व गाली गलौंज की थी। झगड़े की आवाज सुनकर मेरे चाचा संजीव व ड्रायवर महाराज सिंह बाहर आ गये थे जिनके साथ भी उन लोगों द्वारा मारपीट व धक्कामुक्की की गई थी जिससे उन्हें चोटें आयी थी। मेरे चाचा संजीव ने घटना की रिपोर्ट थाना कम्पू में लेख करायी थी।

नोटः- साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से एडीपीओ ने साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पूछे जाने की अनुमति चाही गई जो प्रकरण के अवलोकन उपरांत दी गई।

2-यह कहना गलत है कि घटना समय इंडिका गाड़ी में आरोपीगण संतोष, पवन, विवेक व कपिल बैठे हुए थे और मैं उन्हें जानता हूॅ। यह कहना गलत है कि जब मैंने व मानवेन्द्र ने आरोपीगण से कहा था कि गाड़ी कैसे चलाते हो गाड़ी में स्क्रेच आ गये तो आरोपीगण ने मुझे व मानवेन्द्र को चांटे मारे थे। यह कहना गलत है कि मैं व मानवेन्द्र जब घर के अंदर चले गये तो आरोपीगण हमारे पीछे-पीछे घर के अंदर घुस आये थे। यह कहना गलत है कि घर के अंदर आरोपीगण ने लाठी डंडों से मेरे चाचा संजीव तथा ड्रायवर महाराज सिंह की मारपीट की थी तथा संतोष तोमर ने महाराज सिंह के सिर में सरिया मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। यह कहना गलत है कि मुझे चाची पारूल व मनीषा बचाने आयी तो चारों आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि मैं चारों आरोपीगण को जानता हूॅ और उन्हीं के द्वारा हमारे साथ मारपीट कि गई थी। साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रर्दश पी-10 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त आशय का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह कहना गलत है कि मैं आरोपीगण से मिल गया हूॅ और उन्हे बचाने के लिए आज न्यायालय में उसत्य कथन कर रहा हूॅ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता वास्ते आरोपीगणः- 3- कुछ नहीं।

पुनः परीक्षणः- कुछ नही।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया

सही होना बताया गया

सही- सही-

(जे.एम.एफ.सी.ग्वालियर) (जे.एम.एफ.सी.ग्वालियर)

PW- 9 मानवेंद्र राजपूत (dt.24-3-15)

प्रकरण क्रमांकः-56/14

मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओ श्री गोयल वास्ते अभियोजनः-

1- मै आरोपीगण संतोष सिंह, पवन सिंह, विवेक उर्फ बिक्की व कपिल को नहीं जानता हूॅ। मैं फरियादी संजीव सिंह को जानता हूॅ वह मेरे चाचा हैं। आज से लगभग एक-सवा साल पहले की बात है। घटना के समय मैं अपने भाई हिमांशु के साथ किरार कॉलोनी स्थित घर के बाहर खड़ा हुआ था तभी एक इंडिका गाडी़ के ड्रायवर ने हमारी घर के बाहर खड़ी स्कार्पिओ गाड़ी में स्क्रेच करते हुए टक्कर मार दी थी । इंडिका गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए थे। मैंने व मेरे भाई हिमांशु ने उन लोगों से कहा कि गाड़ी देखकर चलाओ तो उन लोगों ने गाड़ी से उतरकर हम लोगों के साथ झगड़ा किया व गाली गलौंज की थी। झगड़े की आवाज सुनकर मेरे चाचा संजीव व ड्रायवर महाराज सिंह बाहर आ गये थे जिनके साथ भी उन लोगों द्वारा मारपीट व धक्कामुक्की की गई थी जिससे उन्हें चोटें आयी थी। मेरे चाचा संजीव ने घटना की रिपोर्ट थाना कम्पू में लेख करायी थी।

नोटः- साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से एडीपीओ ने साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पूछे

Downloaded from CourtKutchehry — https://dev.courtkutchehry.com/judgments/mukesh-singh-tomar-appellant-hash…

जाने की अनुमति चाही गई जो प्रकरण के अवलोकन उपरांत दी गई।

2- यह कहना गलत है कि घटना समय इंडिका गाड़ी में आरोपीगण संतोष, पवन, विवेक व कपिल बैठे हुए थे और मैं उन्हें जानता हूँ। यह कहना गलत है कि जब मैंने व हिमांशु ने आरोपीगण से कहा था कि गाड़ी कैसे चलाते हो गाड़ी में स्क्रेच आ गये तो आरोपीगण ने मुझे व हिमांशु को चांटे मारे थे। यह कहना गलत है कि मैं व हिमांशु जब घर के अंदर चले गये तो आरोपीगण हमारे पीछे-पीछे घर के अंदर घुस आये थे। यह कहना गलत है कि घर के अंदर आरोपीगण ने लाठी डंडों से मेरे चाचा संजीव तथा ड्रायवर महाराज सिंह की मारपीट की थी तथा संतोष तोमर ने महाराज सिंह के सिर में सरिया मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। यह कहना गलत है कि मुझे चाची पारूल व मनीषा बचाने आयी तो चारों आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि आरोपीगण द्वारा वापिस जाते समय घर के बाहर मेरे चाचा बंटी की भी सरियों व डंडों से मारपीट की थी जिससे उन्हे सिर में चोट आयी थी। यह कहना गलत है कि मैं चारों आरोपीगण को जानता हूँ और उन्हीं के द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई थी। साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-10 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त आशय का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह कहना गलत है कि मैं आरोपीगण से मिल गया हॅ और उन्हें बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता वास्ते आरोपीगणः-3- कुछ नहीं।

पुनः परीक्षणः- कुछ नही।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया

सही होना बताया गया

सही- सही-

(जे.एम.एफ.सी.ग्वालियर) (जे.एम.एफ.सी.ग्वालियर)

6. Pertinently, it is not disputed by the rival parties that petitioner has been referred to as Pavan Singh in the judgment of acquittal and the testimonies of PWs.

6. 1 The statements of other witnesses are also to the same effect where all have denied not only the presence of petitioner at the scene of the crime but have also denied having made any statement to the police to the effect that the petitioner had committed any house trespass after preparation for causing hurt, assault or criminal intimidation. In fact, entire edifice of the prosecution story came crumbling down when these witnesses right from PW-1 to PW-9 testified before the trial court. It seems that the prosecution in posthaste had wrongly arraigned the petitioner as an accused for extraneous consideration.

6. 2 The plain reading of testimonies of all the PWs reveals that the offence u/S. 452 IPC which appears to be the only obstacle in the path of the petitioner, could not be established. Even an iota of evidence was not collected by the prosecution demonstrating the involvement of the petitioner in the crime alleged. Thus, the findings rendered by the trial court of acquittal based on benefit of doubt are a misnomer. In actuality the acquittal of the petitioner was clean and honourable with no element of benefit of doubt involved.

7. The other reason assigned by the competent authority of the offence involving

Downloaded from CourtKutchehry — https://dev.courtkutchehry.com/judgments/mukesh-singh-tomar-appellant-hash…

moral turpitude dissolves into insignificance for the simple reason that when the offence itself was not established the question of considering it's nature or gravity does not arise.

8. Consequently, the entire decision making process undertaken by the competent authority vide P/1 was vitiated being based on non-existing and extraneous consideration.

8. 1 More over, the learned single judge has also failed to appreciate the nature of acquittal being clean and honourable. The decision of Avtar Singh (supra) and the other verdicts relied upon by the learned single judge do not lay down that service can be denied even when the acquittal is clean and honourable.

9. Consequently, the appeal stands allowed subject to following directions:-

(i) The impugned order of the learned single judge dated 24/8/2018 in W.P.No. 4499/17 alongiwth the order dated 13/6/2017 P/1 cancelling the candidature of the petitioner for the post of constable passed by the DIG (Office & Management/ Security) M.P. Bhopal is set aside.

(ii) The competent official respondents are directed to reconsider the suitability of the appellant herein for appointment to the post of constable/driver in police establishment after treating the judgment dated 28/7/15 passed in Criminal Case No. 56/14 by the Judicial Magistrate First Class, Gwalior (M.P.) as honourable and clean acquittal.

(iii) Let the aforesaid exercise be completed within an outer limit of 60 (sixty) days from the date of receipt of certified copy of this order.

No cost.

Downloaded from CourtKutchehry — https://dev.courtkutchehry.com/judgments/mukesh-singh-tomar-appellant-hash…